न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः—कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या—107 / 2012 दायरा दिनांक 31.07.2012 जीसीएमएस न. 2012 / 00322

1. प्रेमसिंह पुत्र दलबारसिंह जाति जटसिख साकिन सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्योपतराम पुत्र दुलाराम जाति जाट (मृतक)

1/1 सरोज बेवा श्योपतराम (मृतक) जाति जाट निवासी वार्ड न. 1 त्रिमूर्ती मंन्दिर सूरतगढ़

1/2 मंजूबाई पुत्री श्योपतराम जाति जाट निवासी वार्ड न. 1 त्रिमूर्ती मंन्दिर सूरतगढ़

1/3 अंजू पुत्री श्योपतराम जाति जाट निवासी वार्ड न. 1 त्रिमूर्ती मंन्दिर सूरतगढ़

1/4 संदीप सहारण पुत्र श्योपतराम जाति जाट निवासी वार्ड न. 1 त्रिमूर्ती मंन्दिर सूरतगढ़

2. राजकुमार पुत्र नारायणराम जाति जाट डूडी निवासी वार्ड न. 17 हाल वार्ड न. 23 सूरतगढ़

——अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित

उपस्थितः—
1. पैरोकार राज— प्रार्थी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1/2 ता 2

—:: निर्णय ::— दिनांक : 18.12.2024

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 01 प्रेमसिंह ने शिकायत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 श्योपतराम पुत्र दुलाराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान ने दिनांक 27.06.1981 को उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष अमरपुरा जाटान के खसरा न. 190 में 10.00 बीघा व खसरा न. 210 में 40.00 बीघा कुल 50.00 बीघ रकबा आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र किया। उक्त प्रार्थना पत्र में स्वयं भूमिहीन होने एवं पेशा काश्तकारी होने का शपथ पत्र तथा सन 1956 की निर्वाचन सूचि अमरपुरा की क्रम संख्या 45 पर अपने पिता दुला वल्द लूणा का नाम दर्ज होने का सबूत पेश किया। उक्त तथ्यों पर विश्वास करते हुए दिनांक 18.08.1981 को उक्त रकबा श्योपतराम को आवंटन किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 श्योपतराम के पिता का नाम दुलाराम तथा दादा का नाम मामराज है। अप्रार्थी संख्या ने आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ दुला वल्द लूणा जाति सुथार की वोटर लिस्टर पेश कर राज्य सरकार को धोखा देकर उक्त आवंटन करवाया है। अप्रार्थी संख्या 01 के पिता दुला पुत्र मामराज निवासी लखा तहसील रायसिंहनगर का निवासी का निर्वाचन सूची वर्ष 1955 की क्रम संख्या 57, 58 पर दुला पुत्र मामराज व चन्दकौरी पत्नी दुलाराम दर्ज है। जबकि अप्रार्थी ने दुला वल्द लुणा की वोटर सूची की साक्ष्य पेश कर आवंटन करवाया है। निर्वाचन सूची 1980, विधानसभा सूरतगढ़ के क्रम संख्या 105 से 110 तक पूरे परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज है जो यह पूर्ण रूप से साबित करते है कि श्योपतराम का मूल टीसी आवंटन दिनांक 18.08.1981 मूल रूप से गलत है। अप्रार्थी संख्या 01 ने बरवक्त टीसी आवंटन व बरवक्त पुख्ता आवंटन अपने पिता दुला वल्द मामराज के नाम से चक 84 आरबी बी में 17.10 बीघा भूमि नहरी को छुपाया है तथा कही भी भूमि नही होना दर्ज किया है। इस प्रकार तथ्यों को छुपाकर स[illegible] टीसी आवंटन व उसके पश्चात किया गया पुख्ता आवंटन दिनांक 05.05.19[illegible] दारी सनद निरस्त किया जावे। उक्त आवंटन भूमि मे से 25.00 [illegible] 02 के नाना द्वारा खरीद कर वसीयत अप्रार्थी संख्या 02 ने हक [illegible] है। अतः प्रार्थ[illegible]त्र स्वीकार किया जाकर श्योपतराम का पुख्ता आवंटन व खातेदारी सनद निरस्त कर भूमि रकबा राज दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.03 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

1103

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.11.2014 को प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में आगे कार्यवाही ना चाहे जाने पर प्रकरण राज्यहित से संबंधित होने के कारण आदेशिका दिनांक 31.10.2018 द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ को प्रार्थी संयोजित किया गया। प्रार्थी पैरोकार राज उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1/2 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी पैरोकार राज ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1/2 ता 2 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि शिकायतकर्ता ने यह शिकायत अप्रार्थीगण द्वारा तथ्य छिपाकर आवंटन करवाने के संबंध में की है। आवंटन नियम 1975 के नियम 21 के तहत तथ्य छिपाकर या गलत सूचना देकर करवाये गये आवंटन को निरस्त करना आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी का क्षेत्राधिकार है। धारा 11, 14 काश्तकारी अधिनियम की शर्तो की अवहेलना करने पर लागू होती है। भूमि अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। रकबा कृषि कार्यो में प्रयोग होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कोई अवहेलना नही करने से यह प्रकरण धारा 11, 14 का बनता ही नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा यह शिकायत उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11/14 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। यह धारा उन प्रकरणो पर लागू होती हैं जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना की गई हो जबकि हस्तगत प्रकरण तथ्य छिपाकर आवंटन करवाने से संबंधित है, जिसका क्षेत्राधिकारी भी इस न्यायालय को ना होकर आवंटन अधिकारी है। जैरप्रकरण रकबा को टी.सी. से पुख्ता आवंटन करवाने हेतु वर्ष 1981 में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसकी सम्पूर्ण जांच करने के बाद ही अप्रार्थीगण 1/2 ता 1/4 के पिता श्योपत को रकबा अमरपुरा जाटान में टी.सी. पर आवंटन करके मौका पर कब्जा दे दिया गया था। अप्रार्थीगण ने अपने पिता व दादा की ही वोटरलिस्ट प्रस्तुत की थी बहुत अधिक मात्रा में वोटरलिस्ट छपती हैं। बाप का दादा के नाम में कहीं टाइप से त्रूटि हो गयी होगी। किसी तकनीकी आधार पर 45 वर्ष पूर्व का आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता। आवंटी इसी गांव का पुराना वांसिदा हैं। जबकि आवंटन नियमों में तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवंटन नियमों में 1.4.1955 से राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए जबकि अप्रार्थीगण तो पीढ़ीयो से यहां रहते आ रहे हैं। पेशा काश्तकारी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि कोई काश्तकार राजस्थान का मूल निवासी हैं व अन्य पात्रता पूरी करता हैं तो वह भूमि आवंटन करवाने का पात्र हैं। अप्रार्थी को जो रकबा 45 वर्ष पूर्व संवत 2038 में टी.सी. आवंटन हुआ। बाद में दिनांक 15.05.1992 को पुख्ता आवंटन किया गया व समस्त किश्ते जमा करवाने के बाद रकबा खातेदारी दर्ज हो गया। पुख्ता आवंटन के समय भी पटवारी हल्का व तहसीलदार ने मजमें आम में गांव की चोपाल पर जांच की थी व फोटो दिखा कर जांच करने के बाद पत्रावली आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष रखी गई जिसमें श्रीमान तहसीलदार स्वंय कमेटी में उपस्थित थे, ग्राम पंचायत का सरपंच था, इस पंचायत समिति का प्रधान व विधानसभा क्षेत्र का विधायक था। सब की सहमती से ही रकबा पूरी जांच करने के बाद आवंटन किया गया था। आवंटन आदेश की समस्त किश्ते तहसीलदार के आदेश पर ही जमा करवायी गयी। पुख्ता आवंटन आदेश का इन्तकाल भी तहसीलदार द्वारा किया गया था। खातेदारी जारी करने की सिफारिश भी तहसीलदार ने ही की थी व खातेदारी जारी होने के बाद में खातेदारी का इन्तकाल भी तहसीलदार ने किया था व इस प्रकरण भूमि में से कुछ रकबा आगे 2–3 बार बेचान हो चुका हैं जब इतनी बार तहसीलदार ने जांच करके आंवटन को सही माना खातेदारी जारी करवायी तो अब यह कहना सही नहीं हैं कि आवंटन गलत हुआ हैं। रकबा को खातेदारी हुए भी 20 वर्ष से ज्यादा समय हो गया जब पुख्ता आवंटन रकबा के खातेदारी अधिकार जारी हो जाते हैं तो उस पर आवंटन नियम लागू नहीं होते व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि किसी तकनीकी आधार पर या किसी गलत तथ्य के प्रस्तुत कर आवंटन करवाये गये रकबा के लम्बे समय के बाद व खातेदारी अधिकार जारी हो जाने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। मौजूदा प्रकरण में तो मूल अलोटी की मृत्यु बहुत समय पूर्व हो गयी। उसकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गयां रकबा बहुत समय पूर्व खातेदारी दर्ज हो [illegible] छिपाया हैं, महज आपसी रंजिश की वजह से ही यह शिकायत की गई हैं। अप्रार्थी [illegible] 02 [illegible] कोई रकबा आवंटन नहीं करवाया है। अप्रार्थी के पिता नारायण राम [illegible] 25.00 बीघा भूमि का [illegible] देकर व पूरे स्टाम्प खरीद कर जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 17.06.1998 को [illegible] में जमा करवाकर भूमि खरीद की थी। खरीद के समय रकबा खातेदारी था व भूमि धारक श्योपत को भूमि बेचने का पूरा–पूरा अधिकार था। बैयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है [illegible] की वैधानिकता की जांच इस न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.03 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

15

द्वारा नहीं की जा सकती। क्रेता नारायणराम से उक्त रकबा आगे तीसरे व्यक्ति राजकुमार के नाम आया है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 02 के नाम के खातेदारी रकबा के विरूद्व जांच करने का कोई कानूनी अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण निरस्त फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टातंत AIR 1994 P 1128, RRT 2019(1) P 539. RBJ2001 P 126, SC 1994 P 575, RBJ 1995 HC P 780, RRD 1999 P 128, RRT 2016(1) P 82, RRT 2019(2) P 1065, RRT 2019(1) P 539, RBJ 2016 P 474, RRT 2010(1) P 157, RRD 2001(2) P 206, RRD 1982 P 339 की ओर ध्यान दिलाया हीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्यन किया। जैर प्रार्थना पत्र रकबा अप्रार्थी श्योपतराम को टीसी से पुख्ता आवंटन एवं तत्पश्चात खातेदारी हुआ है। पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के कोई तथ्य आवंटन एवं आवंटन के पश्चात छुपाया जाना साबित नहीं होता। शिकातकर्ता द्वारा ऐसे कोई ठोस साक्ष्य भी पेश नहीं किये जिससे शिकायत की पुष्ठि हो सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.03 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner